संख्या- 15 /2018/234/22-4-18-48(12)/16टीसी

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 26 फरवरी, 2018

विषय- जनपद न्यायालय कन्नौज एवं जिला कारागार, कन्नौज में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32498/नम-2/25टीसी-2/17, दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय कन्नौज एवं जिला कारागार, कन्नौज में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-04/2016/48/22-4-16-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 18.01.2016 द्वारा क्रमश- रू0 43.50, लाख एवं रू0 25.84 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु क्रमशः रू0 48.26 लाख एवं रू0 28.75 लाख अर्थात कुल रू0 77,01,000/-(रूपया सतहत्तर लाख एक हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) नियमानसुार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथरिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि उच्च अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर, लकड़ी का चौखट एवं कुर्सी की लागत एक मुश्त प्रस्तावित की गयी है। यह कार्य मदें प्रोप्राइटरी प्रकृति की है। इनके मेक माडल स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। इन कार्य मदों हेतु प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त किया जाय तथा निर्माण के समय इनका व्यय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(12) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(13) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश दिनांक् 12.05.2017 एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 29.03.2015 एवं 18.01.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-290/दस/2018, दिनांक-23 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या- 15/2018/234(1)/22-4-18-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, कन्नौज।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in